न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : अपील–छिन्दवाड़ा/भू.रा./2018/6280 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 5–11–2018 पारित व्दारा – अपर आयुक्त , जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 1425/2017–18 अपील

नवीन दुग्गड़ पुत्र केवलचंद दुग्गड़
निवासी मेन रोड गोलगॅज छिन्दवाड़ा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

श्रीमती आशा कोटारी पत्नि स्व.सुभाष कोठारी
निवासी गोलगॅज छिन्दवाड़ा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित एंव श्री मुकुल सोनी)
(रिस्पाण्डेन्ट के अभिभाषक श्री दिलीप पासी एंव श्री अमित गुप्ता)

आ दे श
(आज दिनांक 10/01/-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 1425/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 05–11–2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पाण्डेन्ट ने कलेक्टर छिन्दवाड़ा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके व्दारा अपीलांट से ग्राम सर्रा की खसरा **नंबर 1/3** रकबा 4.50 एकड़= 1.828 हैक्टर भूमि में से एक एकड़ = 0.45 हैक्टर भूमि विकय पत्र दिनांक 10–5–1985 से कय की है। इस भूमि का बटांक नंबर 1/5 है किन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने मूल नक्शे में फेरफार करके उसके स्वामित्व और आधिपत्य

की भूमि की पूर्वी चौड़ाई लगभग 228 फुट से घटाकर 100 फुट कर दी है एंव मूल नक्शे में आयाताकार बना दिया है, जिसके संशोधन हेतु नायव तहसीलदार छिन्दवाड़ा को आवेदन दिया था , किन्तु नायव तहसीलदार ने प्र.क्र. 35 अ–6–अ/16–17 में आदेश दिनांक 23–6–17 से आवेदन खारिज कर दिया है जबकि अशुद्व नक्शा जिला कलेक्टर शुद्व कर सकते हैं इसलिये नक्शा शुद्व किया जावे। अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने प्रकरण कमांक 1 अ–74/17–18 पॅजीबद्व कर सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान स्थगन की मांग पर सुनवाई कर अपर कलेक्टर ने अंतरिम आदेश दिनांक 2–11–17 पारित किया तथा हलका पटवारी को राजस्व अभिलेख सहित जांच हेतु तलब करने , तदुपरांत स्थगन आवेदन पर पुर्नवाई का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने राजस्व मंडल,म०प्र०ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की। प्रशासकीय सदस्य , राजस्व मण्डल ग्वालियर ने प्रकरण कमांक एक-निगरानी/छिन्छवाड़ा/भू.रा./2017/4832 में पारित आदेश दिनांक 6–2–18 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 2–11–17 निरस्त कर दिया एंव अपर कलेक्टर व्दारा की जा रही समस्त कार्यवाही भी निरस्त कर दी। प्रशासकीय सदस्य , राजस्व मण्डल ग्वालियर के आदेश दिनांक 6–2–18 के विरूद्व रिस्पा. ने मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पिटीशन क्– 4566/2018 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 6–3–18 से रिट पिटीशन स्वीकार कर कलेक्टर छिन्दवाड़ा को विवाद के निराकरण के निर्देश हुये। मान. उच्च न्यायालय के निर्देशानुक्रम में अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही कराते हुये दोनों पक्षों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 5–6–18 पारित किया एंव ग्राम सर्रा की भूमि खसरा नंबर 1/5 रकबा 0.405 हैक्टर का नक्शा त्रृटिपूर्ण नहीं पाने से नक्शा दुरूस्त न करने का निर्णय लिया।

अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा के उक्तादेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 1425/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 05–11–2018 से अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा का आदेश दिनांक 5–6–18 निरस्त कर दिया तथा अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये निर्देश दिये कि वह 30 दिवस में नक्शा दुरूस्त की कार्यवाही करें। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर एंव लेखी बहस के तथ्यों पर विचार करने तथा इसी कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित

है कि मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर से निराकृत रिट पिटीशन क्र- 4566/2018 में पारित आदेश दिनांक 6-3-18 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की स्थल जांच एंव प्रकरण में आई साक्ष्य आदि के परीक्षण उपरांत अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने आदेश दिनांक 5-6-18 पारित कर निर्णय लिया है कि ग्राम सर्रा की भूमि खसरा नंबर 1/5 रकबा 0.405 हैक्टर का नक्शा त्रृटिपूर्ण नहीं पाने से नक्शा दुरूस्त नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने प्र०क० 1425/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 05-11-2018 से अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 5-6-18 को निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर को निम्नानुसार निर्देश दिये हैं :-

- **अति. कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 (5) के प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं करते हुये राजस्व प्र.क्र. 1/अ-74/2017-18 में दिनांक 5-6-18 को त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है तथा ग्राम सर्रा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा की प्रकरणाधीन भूमि के नक्शे की पुनरीक्षित कार्यवाही में प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य को अनदेखा किया गया है जिसके आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आलोच्य आदेश दिनांक 5-6-18 को अपास्त करते हुये मूल प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा को यह निर्देशित किया जाता है कि धारा 107 (5) के प्रावधानों के अनुसार नक्शा दुरूस्त 30 दिवस में किया जावे। •**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5-11-18 से अपर कलेक्टर को निर्देश देते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में म०प्र० राजपत्र असाधारण दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित (सॅशोधन) कमांक 42 सन 2011 की धारा 49 (3) इस प्रकार है :-

धारा 49 (3) -पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसाकि आदेश पारित करने के लिये वह आवश्यक समझे;

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी व्दारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 नव सॅशोधित प्रभावशील दिनांक 25-9-18 की धारा 49 (3) इस प्रकार है :-

धारा 49 (3) -मूल अधिनियम की धारा 49 (3) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए अर्थात -

'' परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिये साधारणातया प्रतिप्रेषित नहीं करेगा ''

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5–11–18 से अपर कलेक्टर को निर्देश देते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का आदेश दिनॉक 5–11–18 विधि में दी गई व्यवस्था के अनुकूल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1425 / 2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 05–11–2018 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामत: अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ–74 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 5–6–2018 यथावत् रहता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर